न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
प्रार्थना –पत्र नम्बर 70/2015
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए
रामजस पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक अभियन्ता जल संसाधन एवं सिचाई विभाग संगरिया
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
3. धर्मपाल पुत्र गोरधन जाति जाट साकिन वार्ड/चक नं. 3 एमजेडी रतनपुरा तह.संगरिया।

अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 3 एमजेडी खाता संख्या 43/40 खाता वगैरा ज.स. 2068–71 में जरिए इन्तकाल सं. 357 के अनुसार आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के उक्त खातों की नकल जमाबन्दीयां संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी अपने कब्जा काश्त की आराजी में से चक 3 एमजेडी के प.न. 170/182 मु.न. 37 के किला नं. 5/0.177, 6/0.228 में से होकर चक 3 एमजेडी के प.न. 170/182 मु.न. 37 किला न. 15,16,25 मे से होते हुए गै.मु. खाला की आराजी मे से होते हुए पाईप–लाईप स्वीकार करवाना चाहते है ताकि प्रार्थी अपने खेत में सुचारू रूप से अपने टयूबैल का पानी लगा कर अपनी फसले पाल सकें। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप चक 3 एमजेडी के प.न. 170/182 मु.न. 37 के किला नं. 5/0.177, 6/0.228 मे से होकर किला नं. 15,16,25 म से गै.मु. खाला की आराजी मे से पाईप लाईन डलवा लेने दो व इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में पाईपा लाईन मन्जूर करवा लेने दो तो इस पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही विनाय दर. है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आप चक 3 एमजेडी के प.न. 170/182 मु.न. 37 के किला नं. 5/0.177, 6/0.228 मे से होकर किला नं. 15,16,25 मे से गै.मु. खाला की. आराजी मे से पाईप लाईन स्वीकार किया जाकर इसी मुताबिक पाईप लाईन डालने की अनुमति प्रदान करें।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी 3 ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जलमार्ग की आवश्यक जगह छोड़कर एक साईड में पाईप लाईन डालना काश्तकारों के हित मे होने का कथन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 2 ने सिंचाई विभाग की सहमति पर नियमानुसार 1 मीटर के नीचे पाईप लाईन सिंचाई विभाग के खाले को अवरूद्व/बाधा न पहुंचाने की शर्त पर स्वीकृति दिये जाने की अनुशंषा की गई। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अप्रार्थीगण के जवाब तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन किया गया। अत प्रार्थी की मांग/सिचाई सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पाईप लाइन स्वीकृति जारी करने का आदेश निम्न शर्त पर पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:-

- पाईप लाईन कम से कम 3 फीट गहरी जमीन के अन्दर होना आवश्यक है अन्य कृषकों को असुविधा नही हों।
- प्रार्थी भविष्य में यदि खाल निर्माण/प्राकृतिक कारणों से हुई किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग नही करेगा।
- शर्तो की उल्लघंन पर पाईप लाईन की स्वीकृति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
- प्रार्थी द्वारा डाली गई पाईप लाईन लिकेज होने पर प्रार्थी लिकेज पाईप को सही करने के लिए पाबन्द रहेगा।
- यदि बीच में कोई रास्ता/खाला हो तो उसको कोई नुकसान नही पहुंचे तथा रास्ता में कभी भी आवागमन में बाधा नही हो और पाईप लाईन डालते/लिकेज सही करते समय किसी भी काश्तकार की फसल का या अन्य किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो।

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251-ए आरटीए स्वीकार कर उक्त शर्तो की पालना के आधार पर प्रार्थी को चक 3 एमजेडी प.न. 170/182 मु.न. 37 के किला न. 5/0.177, 6/0.228 मे से होकर किला नं. 15,16,25 मे से गै.मु. खाला के साइड में 3 फीट गहराई में सिंचाई के लिये पाईप लाईन डालने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। तथा संबंधित भूमि के समस्त काश्तकारान को पाबन्द कियां जाता है कि वे प्रार्थी की सिचांई सुविधा हेतु भूमिगत डाली गई सिंचाई पाईप लाईन मे किसी प्रकार की कोई बाधा/नुकसान कारित नही करेंगें। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही हो तो प्रश्नगत भूमि की लम्बाई X चौड़ाई के माप किये जाने एवं राजकोष मे नियमानुसार राशि जमा होने के पश्चात् ही प्रश्नगत पाईप लाईन स्वीकृत शुमार समझी जावेगी। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 16/1/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया